



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270489  
CG-DL-E-25022026-270489

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947

No. 139]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 145(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 633(अ), तारीख 14 अगस्त, 2015 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, क्रम संख्यांक (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(कक) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, खोज प्रभारी, खान मंत्रालय — सदस्य, पदेन;”।

[फा. सं. 11/8/2015-एम.।]

फरीदा एम. नाईक, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 633(अ), तारीख 14 अगस्त, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा संख्यांक सा.का.नि. 100(अ), तारीख 7 फरवरी, 2022 और सा.का.नि. 541(अ), तारीख 8 अगस्त, 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF MINES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2026

**G.S.R. 145(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Mines published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 633(E), dated the 14th August, 2015, namely:-

In the said notification, in paragraph (II), after serial number (a) and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

“(aa) Additional Secretary or Joint Secretary, in-charge of Exploration, Ministry of Mines - Member, *ex officio*.”.

[F. No. 11/8/2015-M.।]

FARIDA M NAIK, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 633(E), dated the 14th August, 2015 and was amended, *vide* numbers G.S.R.100(E), dated the 7th February, 2022 and G.S.R. 541(E), dated the 8<sup>th</sup> August, 2025.